2023 का विधेयक सं.25

राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2023 जैसाकि राजस्थान विधान सभा में प्रःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) अधिनियम, 2023 है।
- (2) यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध उस तारीख को प्रवृत होंगे जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और इस अधिनियम के प्रारंभ से ऐसे किसी उपबंध में के किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश से किया जायेगा।

- 2. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 10 का संशोधन.- राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 2017 का अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 10 में,-
 - (क) उप-धारा 2) के खण्ड घ) में विद्यमान अभिव्यक्ति "माल या" हटायी जायेगी; और
 - (ख) उप-धारा 2क) के खण्ड ग) में विद्यमान अभिव्यक्ति "माल या" हटायी जायेगी।
- 3. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 16 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा 2) में, -
 - (i) द्वितीय परंतुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा:" के

स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उसके द्वारा संदत्त किया जायेगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (ii) तृतीय परंतुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "के मद्दे रकम का उसके द्वारा" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "किये गये संदाय" से पूर्व, अभिव्यक्ति "प्रदायकर्ता को" अन्तः स्थापित की जायेगी:
- 4. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 17 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 17 में,-
 - (क) उप-धारा 3) के स्पष्टीकरण में विद्यमान अभिव्यक्ति "अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सिम्मिलित नहीं होगा।" के स्थान पर निम्निलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

सिवाय.-

- (i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों के मूल्य; और
- (ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड क) के संबंध में ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किया जाए,
- अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।" और
 - ख) विद्यमान खण्ड च) के पश्चा त् और विद्यमान खण्ड छ) से पूर्व निम्न लिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 - "चक) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 2013 का अधिनियम सं. 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से

संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किये जाने के लिये आशयित है;"।

- 5. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 23 की विद्यमान उप-धारा 2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा और 01 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा, अर्थात्:-
 - "2) धारा 22 की उप-धारा 1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिसे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकेगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।"।
- 6. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा 1) में, -
 - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा:" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे अधिकारी को ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जैसािक विहित किया जाये, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा।" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (ख) विद्यमान परंतुक हटाया जायेगा।
- 7. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 37 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 37 में विद्यमान उप-धारा 4) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-
- " 5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के अवसान के पश्चात कर

कालाविध के लिए उप-धारा 1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शतों और निर्बधनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को, उपधारा 1) के अधीन किसी कर कालावधि के लिए जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए, उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

- 8. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 में विद्यमान उप-धारा 10) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-
- "11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के अवसान के पश्चात् किसी कर कालाविध के लिए कोई विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुजात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को, किसी कर कालावधि के लिए उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अन्जात कर सकेगी।"।

- 9. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 44 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 44 को उसकी उप-धारा 1) के रूप में संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-धारा 1) के पश्चात निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात:-
- "2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के अवसान के पश्चात्, उप-धारा 1) के अधीन कोई वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को, किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।"।

- 10. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 52 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 52 में विद्यमान उप-धारा 14) के पश्चात् और विद्यमान स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-
- " 15) किसी प्रचालक को, उप-धारा 4) के अधीन कोई विवरण, उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की कालाविध के अवसान के पश्चात्, प्रस्तुत करने के लिए अनुजात नहीं किया जाएगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के किसी वर्ग को उप-धारा 4) के अधीन कोई विवरण, उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख से तीन वर्ष की उक्त कालाविध के अवसान के पश्चात् भी अनुजात कर सकेगी।"।

- 11. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 54 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा 6) में विद्यमा न अभिव्यक्ति "जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," हटायी जायेगी।
- 12. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 56 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 56 में विद्यमान अभिव्यक्ति "उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, ऐसे प्रतिदाय के सम्बन्ध में ब्याज संदेय होगा:" के स्थान पर अभिव्यक्ति "ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख

तक साठ दिवस से अधिक के विलंब की कालावधि के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, जो विहित की जाये, संगणित किये जाने वाले ऐसे प्रतिदाय के सम्बन्ध में ब्याज संदेय होगा:" प्रतिस्थापित की जायेगी।

- 13. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 62 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा 2) में, -
 - (क) विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस दिवस" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ दिवस" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
 - (ख) अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा 2) के पश्चात् निम्निलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्त् जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा

- 1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से साठ दिवस के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है वहां वह उक्त निर्धारण आदेश की तामील से साठ दिवस से अधिक के विलंब के प्रत्येक दिवस के लिए एक सौ रुपये की अतिरिक्त विलंब फीस के संदाय पर और साठ दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर उसे प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह ऐसी बढ़ाई गयी कालावधि के भीतर-भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश प्रतिसंहत किया गया समझा जायेगा, किन्तु धारा 50 की उप-धारा 1) के अधीन ब्याज संदत्त करने का या धारा 47 के अधीन विलंब फीस संदत्त करने का दायित्व जारी रहेगा।"।
- 14. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 109 का प्रतिस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-
- "109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन.- इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस

अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए, अपील अधिकरण होगा।॥

- 15. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 110 का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 110 हटायी जायेगी।
- 16. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 114 का हटाया जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 114 हटायी जायेगी।
- 17. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 117 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 117 में,-
 - क) उप-धारा 1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित की जायेगी: और
 - ख) उप -धारा 5) में, खण्ड क) और ख) की विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित की जायेगी।
 - 18. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 118 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 118 की उप-धारा 1) के खण्ड क) में विद्यमान अभिव्य कि "राष्ट्रीय न्यायपीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपील अधिकरण की मुख्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित की जायेगी।
- 19. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 119 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 119 में,-
 - क) विद्यमान अभिव्य क्ति "राष्ट्रीय या प्रांतीय न्यायपीठां" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित की जायेगी: और
 - ख) विद्यमान अभिव्य कि "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

- 20. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 122 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 122 की विद्यमान उप-धारा 1क) के पश्चात् और विद्यमान उप-धारा 2) से पूर्व निम्नलिखित नयी उप-धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात:-
 - " 1ख) कोई इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो-
 - हसके माध्यम से, इस अधिनियम के अधीन जारी
 अधिसूचना द्वारा, ऐसा प्रदाय करने के लिए
 रिजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी
 अरिजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का
 प्रदाय अन्जात करता है;
 - ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति, जो ऐसा अन्तरराज्यिक प्रदाय करने के लिए पात्र नहीं है द्वारा माल या सेवाओं या दोनों का अन्तरराज्यिक प्रदाय अनुज्ञात करता है; या
 - iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से किये गये माल के किसी जावक प्रदाय के सम्बन्ध में धारा 52 की उप-धारा 4) के अधीन दिये जाने वाले वि वरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में विफल रहता है,

तो दस हजार रुपए, या यदि ऐसा प्रदाय धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है, तो अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति, जो भी अधिक हो, का संदाय करने का दायी होगा।"।

- 21. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 132 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा 1) में, -
 - क) विद्यमान खण्ड छ), ज), और ट) हटाये जायेंगे;
 - ख) खण्ड ठ) में विद्यमान अभिव्य क्ति "खण्ड क) से ट)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड क) से च) और खण्ड ज) और झ) प्रतिस्था पित की जायेगी;

- ग) खण्ड iii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे किसी अन्य अपराध" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खण्ड ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
- घ) खण्ड iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "या खण्ड छ) या खण्ड ञ)" हटायी जायेगी।
- 22. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 की धारा 138 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 138 में,-
 - क) उप -धारा 1) के प्रथम परंत्क में, -
 - i) विद्यमान खण्ड क) के स्था न पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात;
 - "क) कोई व्यक्ति जिसे धारा 132 की उप-धारा
 1) के खण्ड क) से च), ज), झ) और ठ) में
 विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन
 होने के लिए अनुज्ञात किया गया था;";
 - ii) विद्यमान खण्ड ख) हटाया जायेगा;
 - iii) विद्यमान खण्ड ग) के स्था न पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-
 - "ग) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उप-धारा
 1) के खण्ड ख) के अधीन किसी अपराध को कारित
 करने का अभियुक्त रहा है;"; और
 - iv) विद्यमान खण्ड ङ) हटाया जायेगा; और
- ख) उप -धारा 2) में विद्यमान अभिव्यिक्त "न्यूनतम रकम दस हजार रुपये या अंतर्वितित कर के पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने" के स्थान पर अभिव्यिक्त "न्यूनतम रकम अंतर्वितित कर के पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होने और अधिकतम रकम अंतर्वितित कर के एक सौ प्रतिशत से अधिक नहीं होने," प्रतिस्थापित की जायेगी।

23. 2017 के राजस्थान अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 158क का अंत:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 158 के पश्चात् और विद्यमान धारा 159 से पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात:-

"158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा दी गयी सूचना की सहमति आधारित साझेदारी.- 1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निम्नलिखित ब्यौरों को, उप-धारा 2) के उपबंधों के अध्यधीन और परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात:-

- क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में, या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाइल की गयी विवरणी में, दी गयी विशिष्टियां;
- ख) बीजक के तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन दिये गये जावक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों को तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गयी विशिष्टियां; और
- ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किये जाएं।
- उप-धारा 1) के अधीन ब्यौरे साझा करने के प्रयोजनों के लिए.-
 - क) उप -धारा 1) के खंड क), ख) और ग) के अधीन दिये गये ब्यौरों के संबंध में प्रदायकर्ता की सहमति; और
 - ख) उप -धारा 1) के खण्ड ख) के अधीन, और उप -धारा 1) के खण्ड ग) के अधीन दिये गये ब्यौ रों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति, केवल वहां जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी सूचना है,

ऐसे प्ररूप में और रीति से अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए।

- 3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गयी सूचना के परिणामस्वरूप उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी तथा सुसंगत प्रदाय पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदत्त करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा।"।
- 24. राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 2017 का अधिनियम सं.9) की अनुसूची 3 में कितपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट.- 1) मूल अधिनियम की अनुसूची 3 के विद्यमान पैरा 7 और 8 और उसके विद्यमान स्पष्टीकरण 2 को 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा।
- 2) ऐसे सभी करों का कोई प्र तिदाय नहीं किया जाएगा जिन्हें संगृहीत किया गया है, किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किये गये होते यदि उप-धारा 1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों के राज्य के भीतर प्रदाय पर कर के उद्ग्रहण और संग्रहण के लिये उपबंध करने की दृष्टि से राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियमित किया गया था।

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है, अर्थात्:-

विधेयक का खंड 2 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 की उप-धारा 2) के खंड घ) और उप -धारा 2क) के खंड ग) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे संयुक्त उद्ग्रहण के अधीन कर संहत्त करने का विकल्प लेकर इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से माल के प्रदाय में लगे हुए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों पर अधिरोपित निर्बंधन को हटाया जा सके।

विधेयक का खंड 3 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा 2) के दूसरे और तीसरे परंतुक को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे उक्त अधिनियम में उपबंधित विवरणी फाइल करने की प्रणाली के साथ उक्त उप-धारा के अनुरूप किया जा सके।

विधेयक का खंड 4 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उप-धारा 3) के स्पष्टीकरण को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे उक्त अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 के खंड क) में विनिर्दिष्ट कतिपय संव्यवहारों के बाबत इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग को निर्बधित किया जा सके, जो छूट प्रदाय के मूल्य में ऐसे संव्यवहारों के मूल्य को सिम्मिलित करते हुए नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए।

यह खंड उप-धारा 5) को संशोधित करने के लिए ईप्सित भी है, जिससे ऐसा उपबंध किया जा सके कि कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की बाबत इनप्ट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लिया जाता है या उपयोग में लिये जाने के लिए आशियत है।

विधेयक का खंड 5 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 23 को 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है, जो ऐसे व्यक्तियों से संबंधित है, जो रिजस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं हैं, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा 1) और धारा 24 पर उक्त धारा के अध्यारोही प्रभाव का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 6 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 30 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे विहित शर्तों और निर्बंधनों के साथ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए समय-सीमा और रीति का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 7 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 37 में एक नयी उप-धारा 5) जोड़ने के लिए ईप्सित है, जिससे तीन वर्ष की ऐसी समय सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक किसी कर कालाविध के लिए उक्त धारा की उप-धारा 1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरों को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। यह खंड परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए, कतिपय शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए उक्त समय-सीमा को बढ़ाए जाने के लिए सशक्त करने हेत् भी ईप्सित है।

विधेयक का खंड 8 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 में एक नयी उप-धारा 11) जोड़ने के लिए ईप्सित है, जिससे तीन वर्ष की ऐसी समय-सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कर कालावधि के लिए विवरणी फाइल की जा सकती है। यह परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग के

लिए, कतिपय शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त समय-सीमा को बढ़ाए जाने हेत् सशक्त करने के लिए भी ईप्सित है।

विधेयक का खंड 9 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 में एक नयी उप-धारा 2) जोड़ने के लिए ईप्सित है, जिससे किसी वितीय वर्ष के लिए उक्त धारा की उप-धारा 1) के अधीन तीन वर्ष की ऐसी समय-सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जा सकती है। यह परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए कतिपय शर्तों और निर्वधनों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त समय-सीमा को बढ़ाए जाने के लिए सशक्त करने हेत् है।

विधेयक का खंड 10 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 में एक नयी उप-धारा 15) अंत:स्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे उक्त धारा की उप-धारा 4) के अधीन तीन वर्ष की ऐसी समय-सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा किसी मास के लिए विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। यह परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी प्रचालक या प्रचालकों के किसी वर्ग के लिए, कतिपय शर्तों और निर्वंधनों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त समय-सीमा को बढ़ाए जाने के लिए सशक्त करने हेत् ईप्सित है।

विधेयक का खंड 11 अनंतिम रूप से स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिनिर्देश को हटाते हुए राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप-धारा 6) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि उक्त अधिनियम की धारा 41 की उप-धारा 1) के अनुसार स्व:निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की वर्तमान स्कीम के अनुरूप किया जाये।

विधेयक का खंड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 56 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि विलंबित प्रतिदायों पर ब्याज के परिकलन के लिए विलंब की कालाविध की संगणना की रीति का नियमों द्वारा उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 13 धारा 62 की उप-धारा 1) के अधीन निर्धारण आदेश के प्रत्याहरण के लिए समय-सीमा तीस दिन से बढ़ाकर साठ दिन करने के लिए धारा 62 की उप-धारा 2) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है। यह खण्ड धारा 62 की उप-धारा 1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन से अधिक विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए, संदाय पर साठ दिन की कालाविध से अधिक विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए धारा 50 के अधीन ब्याज या धारा 47 के अधीन विलम्ब फीस के संदाय के साथ सौ रुपये अतिरिक्त विलम्ब फीस के संदाय पर साठ दिन की कालाविध के पश्चात् धारा 62 की उप-धारा 1) के अधीन निर्धारण आदेश के प्रत्याहरण के लिए उपबंध करने हेतु एक नया परन्त्क अंत:स्थापित करना भी ईप्सित है।

विधेयक का खण्ड 14 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की विद्यमान धारा 109 को, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधन के अनुरूप करने हेतु, प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है। अपील अधिकरण केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 के उपबंधों द्वारा स्थापित किया जाएगा और वही राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन अंगीकृत किया जाएगा।

विधेयक का खंड 15 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 110 को हटाने के लिए ईप्सित है। राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में विद्यमान धारा अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तों इत्यादि के लिए उपबंध करती है। अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें इत्यादि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 110 के उपबंधों द्वारा स्थापित की जाएंगी और वही राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन अंगीकृत की जाएंगी।

विधेयक का खंड 16 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 114 को हटाने के लिए ईप्सित है। राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की विद्यमान धारा 114 राज्य अध्यक्ष की

वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के लिए उपबंध करती है। अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शित्तयां केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 114 के उपबंधों द्वारा स्थापित की जाएंगी और वही राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन अंगीकृत की जाएंगी।

विधेयक का खंड 17 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 117 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

विधेयक का खंड 18 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 118 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रांतीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य न्यायपीठ" प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

विधेयक का खंड 19 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 119 में विद्यमान अभिव्यिक्त "राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रांतीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यिक्त "मुख्य न्यायपीठ" और विद्यमान अभिव्यिक्त "राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों" के स्थान पर अभिव्यिक्त "राज्य न्यायपीठों" प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

विधेयक का खंड 20 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 122 में एक नयी उप-धारा 1ख) अंत:स्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या संयुक्त करदाताओं द्वारा इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से किये गये माल या सेवाओं के प्रदाय से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन की दशा में उन पर लागू शास्तिक उपबंधों के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 21 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 132 की उप-धारा 1) को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि उक्त उप-धारा के खंड छ), ज) और ट) में

विनिर्दिष्ट अपराधों का गैर अपराधीकरण किया जा सके और उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए, अभियोजन शुरू करने के लिए धनीय अवसीमा को माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के बिना बीजकों के निर्गम से संबंधित अपराधों के सिवाय, एक सौ लाख रुपये से बढ़ाकर दो सौ लाख रुपये किया जा सके।

विधेयक का खंड 22 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 138 की उप-धारा 1) के विद्यमान प्रथम परंतुक को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के शमन के विकल्प से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के बिना बीजकों के निर्गम से संबंधित अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों को अपवर्जित किया जा सके। यह विद्यमान उप-धारा 2) को संशोधित करने के लिए और ईप्सित है, जिससे शमन के लिए न्यूनतम और साथ ही अधिकतम रकम को कम करके विभिन्न अपराधों के शमन के लिए रकम को युक्तियुक्त किया जा सके।

विधेयक का खंड 23 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में एक नयी धारा 158क अंत:स्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके आवेदन में या फाइल की गयी उसकी विवरणी में या जावक प्रदायों के उसके विवरण में दी गयी सूचना, या इलेक्ट्रानिक बीजक या ई-वे बिल के सृजन के लिए उसके द्वारा अपलोड किये गये ब्यौरे या कोई अन्य ब्यौरे, जो ऐसी अन्य प्रणालियों, जो अधिसूचित की जाएं, के साथ सामान्य पोर्टल पर नियमों द्वारा उपबंधित किये जाएं, को साझा करने के लिए रीति और शर्तों का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का खंड 24 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की विद्यमान अनुसूची 3 को, उक्त अनुसूची के पैरा 7 और 8 तथा

स्पष्टीकरण 2 को 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी करने हेतु, संशोधित करने के लिए ईप्सित है।

> यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अत: विधेयक प्रस्तुत है।

> > अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के अधीन महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

प्रतिलिपि: संख्या प. 2 34) विधि/ 2/ 2023 जयपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2023 प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधे यक, 2023 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

वितीय ज्ञापन

प्रस्तावित राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2023 में राजस्थान की संचित निधि से कोई आवर्ती या अनावर्ती व्यय अंतर्वलित नहीं है।

> अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 की उप-धारा 3) के स्पष्टीकरण को संशोधित करने के लिए ईप्सित है जो यह स्पष्ट करता है कि "छूट-प्राप्त प्रदाय का मूल्य" पद के अंतर्गत अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कितपय क्रियाकलापों या संव्यवहारों के सिवाय, उसमें विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा। उक्त स्पष्टीकरण का खंड ii) सरकार को, अनुसूची 3 के पैरा 8 के खंड क) के संबंध में ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों के, जिन्हें इस प्रकार छूट दी गयी है, मूल्य को नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए, सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 6 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 30 को संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जिससे विहित शर्तों और निर्बंधनों के साथ रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए समय-सीमा और रीति का उपबंध किया जा सके। उक्त धारा की उप-धारा 1) सरकार को , रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के संबंध में नियमों द्वारा रीति, समय, शर्तें और निर्वंधन उपबंधित करने के लिए, सशक्त करती है।

विधेयक का खंड 7 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 37 में एक नई उप-धारा 5) जोड़ने के लिए ईप्सित है, जिससे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी कर कालाविध के लिए उक्त धारा की उप-धारा 1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे देने के लिए तीन वर्ष तक की समय-सीमा का उपबंध किया जा सके। यह खंड, परिषद् की सिफारिश पर, सरकार को किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए, कतिपय शर्तों और निर्वधनों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त समय-सीमा को अधिसूचना द्वारा बढ़ाए जाने हेत्, और सशक्त करने के लिए ईप्सित है।

विधेयक का खंड 8 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 39 में एक नयी उप-धारा 11) जोड़ने के लिए ईप्सित है, जिससे तीन वर्ष तक की ऐसी समय-सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कर कालाविध के लिए विवरणी प्रस्तुत की जा सकती है। यह खंड, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को

किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए कतिपय शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त समय-सीमा को अधिसूचना द्वारा बढ़ाए जाने हेतु और सशक्त करने के लिए ईप्सित है।

विधेयक का खंड 9 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 में एक नयी उप-धारा 2) जोड़ने के लिए ईप्सित है, जिससे किसी वितीय वर्ष के लिए उक्त धारा की उप-धारा 1) के अधीन तीन वर्ष तक की ऐसी समय-सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जा सकती है। यह परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए, कतिपय शर्तों और निर्वंधनों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त समय-सीमा को अधिसूचना द्वारा बढ़ाए जाने हेतु और सशक्त करने के लिए ईप्सित है।

विधेयक का खंड 10 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 52 में एक नयी उप-धारा 15) अंत:स्थापित करने के लिए ईप्सित है, जिससे उक्त धारा की उप-धारा 4) के अधीन तीन वर्ष तक की ऐसी समय-सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक किसी इलेक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा किसी मास के लिए विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है। यह परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को किसी प्रचालक या प्रचालकों के किसी वर्ग के लिए, कतिपय शर्तों और निर्वधनों के अध्यधीन रहते हुए, उक्त समय-सीमा को अधिसूचना द्वारा बढ़ाए जाने हेत् और सशक्त करने के लिए ईप्सित है।

विधेयक का खंड 12 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 56 को, उसमें कितपय शब्दों को प्रतिस्थापित करके, संशोधित करने के लिए ईप्सित है, जो सरकार को आवेदन प्राप्ति की तारीख से प्रतिदाय की तारीख तक साठ दिन से अधिक के विलंब की कालाविध के लिए संदेय प्रतिदाय की बाबत ब्याज की संगणना करने की रीति का, शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए, नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का खंड 23 राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में एक नयी धारा 158क अंत:स्थापित करने के लिए ईप्सित है,

जो कराधेय व्यक्ति द्वारा दी गयी सूचना की सहमित आधारित साझेदारी से संबंधित है। उक्त धारा की उप-धारा 1) सरकार को , साझा किए जाने वाले ब्यौरों का और उस रीति का जिससे और उन शर्तों का, जिनके अध्यधीन रहते हुए ब्यौरों को सरकार द्वारा अधिस्चित ऐसे अन्य तंत्रों के साथ सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करती है। उक्त धारा की उप-धारा 2) सरकार को ऐसे प्ररूप और रीति का, जिसमें उसमें विनिर्दिष्ट प्रदायकर्ता और प्राप्तिकर्ता की सहमित प्राप्त की जाएगी, नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करती है।

ऐसे मामले जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचना या आदेश जारी किये जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों से संबधित मामले हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

अत:, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री।

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 2017 का अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX XX 10. प्रशमन उद्ग्रहण.- 1) XX XX XX XX XX

- 2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उप-धारा 1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि-
 - क) से ग) XX XX XX XX
 - घ) वह किसी ऐसे इलेक्ट्रा निक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, माल या सेवाओं के किसी प्रदाय में नहीं लगा हुआ है;
- ङ) से च) XX XX XX XX XX 2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उप-धारा 3) और 4) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उप-धारा 1) औ र उप-धारा 2) के अधीन कर संदत्त करने के लिए विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं है, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में संकलित आवर्त पचास लाख रूपये से अधिक नहीं रहा है, उसके द्वारा धारा 9 की उप-धारा 1) के अधीन संदेय कर के बदले में, ऐसी दर पर, जो विहित की जाये, किन्तु राज्य में के आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक न हो, संगणित कर की रकम संदत्त करने का विकल्प चून सकेगा, यदि वह-
 - क) से ख) XX XX XX XX XX XX
 - ग) किसी इलेक्ट्रा निक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं के ऐसे किसी प्रदाय में नहीं लगा है, जिसके लिए धारा
 52 के अधीन स्रोत पर कर संगृहीत करना अपेक्षित है;
- घ) से ड.) XXXX XX XX XX XX 3) से 5) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XX

- 16. इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्ते.- 1) xx xx xx xx 2) उक्त धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किये गये किसी माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर का प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,-
 - क) उसके कब्जे में इस अधिनियम के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कोई कर बीजक या नामे नोट या कोई अन्य ऐसा कर संदाय दस्तावेज, जो विहित किया जाए, न हो;
 - कक) खण्ड क) में निर्दिष्ट बीजक या नामे नोट के ब्यौरे प्रदायकर्ता द्वारा जावक प्रदाय के विवरण में नहीं दिये गये हैं और ऐसे ब्यौरे, धारा 37 के अधीन विनिर्दिष्ट रीति से ऐसे बीजक या नामे नोट के प्राप्तिकर्ता को संसूचित नहीं किये गये है;
 - ख) वह माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त नहीं कर लेता है।
 - स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए यह समझा जायेगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने माल प्राप्त कर लिया है, जहां प्रदायकर्ता द्वारा, किसी प्राप्तिकर्ता को या ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के निदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हो या नहीं, माल के संचलन पूर्व या उसके दौरान माल पर हक के दस्तावेजों के अंतरण द्वारा या अन्यथा, माल परिदत्त कर दिया जाता है;
 - ग) धारा 41 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रदाय के संबंध में प्रभारित कर का, नकद में या उक्त प्रदाय के संबंध में अनुजेय इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करके वास्तविक रूप से सरकार को संदत्त न कर दिया जाए; और
 - घ) वह धारा 39 के अधीन विव रणी न दे दे:

परन्तु जहां माल, बीजक के विरुद्ध, लाट या किस्तों में प्राप्त होता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अंतिम लाट या किश्त की प्राप्ति पर प्रत्यय लेने का हकदार होगा:

परन्तु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिवस की कालावधि के पश्चात् भी संदत्त करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम को, उस पर के ब्याज के साथ, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा:

परन्तु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का उसके द्वारा किये गये संदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

- 3) उप-धारा 2) के अधीन छूट प्राप्त प्रदाय का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसे प्रदाय, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खण्ड ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा।

स्पष्टिकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यिक्त "छूट-प्राप्त प्रदाय का मूल्य" में, अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

- 23. व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायित्वाधीन नहीं हैं.-1) XX XX
- 2) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट कर सकती है।

XX XX XX XX XX XX XX 30. रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण.- 1) ऐ सी शर्तें, जो विहित की जायें, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रिजस्ट्रीकरण समुचित अधिकारी द्वारा स्वयं के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, रद्दकरण आदेश की तामील की तारीख से तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति से रिजस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकेगा:

परन्तु पर्याप्त हेतुक दर्शित करने पर और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायें, ऐसे कालावधि,-

- क)अपर आयुक्त या, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिवस से अनिधक की कलाविध के लिए;
- ख) आयुक्त द्वारा खण्ड क) में विनिर्दिष्ट कालाविध के अतिरिक्त तीस दिवस से अनिधक की और कालाविध के लिए, बढ़ायी जा सकेगी।
- 44. वार्षिक विवरणी.- इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमितिक कराधेय व्यक्ति और किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इलेक्ट्रानिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर-भीतर और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित प्रदायों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए एक स्वप्रमाणित समाधान विवरण सम्मिलत किया जा सकेगा:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगा:

परन्तु यह और कि इस धारा के अंतिविष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किस स्थानीय प्राधिकारी को, जिसकी लेखा बहियां भारत के नियंत्रक महालेखपरीक्षक द्वारा, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा, लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं, लागू नहीं होगी।

XX XX XX XX XX XX XX XX 54. कर का प्रतिदाय.- 1) से 5) XX XX XX XX

- 6) उप-धारा 5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा किये गये शून्य अंकित माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के लेखे प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गयी कुल रकम, जिसके अंतर्गत अंतिमतः स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है, के नब्बे प्रतिशत का अनंतिम आधार पर प्रतिदाय ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अध्यधीन रहते हुए, जैसा विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् प्रतिदाय दावे के अंतिम निपटान के लिए उप-धारा 5) के अधीन आदेश कर सकेगा।
- 56. विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज.- यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उप-धारा 5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उप-धारा 1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिवस के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, जारी अधिसूचना में

यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनिधक ऐसी दर पर, उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, ऐसे प्रतिदाय के संबंध में ब्याज संदेय होगा:

परन्तु जहां प्रतिदाय का कोई दावा किसी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, जो अंतिम आदेश है, से उद्भूत होता है और उसका ऐसे आदेश के परिणामस्वरूप फाइल किये गये आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के भीतर प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचित की जाने वाली नौ प्रतिशत से अनिधक ऐसी दर पर, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के अवसान के ठीक पश्चात् की तारीख से प्रतिदाय की तारीख तक ऐसे प्रतिदाय के संबंध में ब्याज संदेय होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए जहां किसी अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय द्वारा धारा 54 की उपधारा 5) के अधीन समुचित अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध प्रतिदाय का आदेश किया जाता है तो अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण या न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उक्त उपधारा 5) के अधीन पारित आदेश माना जायेगा।

- XX XX XX XX XX XX 62. विवरणी फाइल न करने वालों का निर्धारण.- 1) XX XX XX
- 2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप-धारा 1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिवस के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश प्रतिसंहत किया गया समझा जायेगा किन्तु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय का या धारा 50 की उप-धारा 1) के अधीन ब्याज के संदाय का दायित्व जारी रहेगा।
- XX XX XX XX XX XX XX XX के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस

अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए, अपील अधिकरण होगा।

2) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 या तद्धीन बनाये गये नियमों के अनुसार होगी।

XX XX XX XX XX

110. अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्तें इत्यादि.- राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदाविध, त्यागपत्र और पदच्युति केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगी।

XX XX XX XX XX XX

114. राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां.-राज्य अध्यक्ष, किसी राज्य में अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी विहित की जाएं:

परन्तु राज्य अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे, राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को, इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता रहेगा।

XX XX XX XX XX XX

117. उच्च न्यायालय में अपील.- 1) अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा और उच्च न्यायलय ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाए कि मामले में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है।

- 2) से 4) XX XX XX XX XX XX XX XX 5) उच्च न्यायालय किसी ऐसे वाद को अवधारित कर सकेगा, जो-
 - क) राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा अवधारित न किया गया हो; या
 - ख) उप -धारा 3) में यथानिर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न पर विनिश्चय के कारण राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों द्वारा त्रुटिपूर्ण अवधारित किया गया हो।

 - क) राष्ट्री य न्यायपीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय न्यायपीठों द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध; या
 - XX XX XXXX $\mathbf{X}\mathbf{X}$ XX 2) 社 3) $\mathbf{X}\mathbf{X}$ $\mathbf{X}\mathbf{X}$ XX XX XXXX XXXX XX XX XX
- 119. राशियां जो अपील इत्यादि के होते हुए भी संदत्त किये जाने के लिए शोध्य हैं.- उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील के होते हुए भी, धारा 113 की उप-धारा 1) के अधीन राष्ट्रीय या प्रांतीय न्यायपीठों या धारा 113 की उप-धारा 1) के अधीन अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों या, यथास्थिति, धारा 117 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप सरकार को देय राशि इस प्रकार पारित आदेश के अनुसरण में संदेय होगी।
- XX XX XX XX XX XX 132. कितपय अपराधों के लिए दंड.- 1) जो कोई भी निम्नलिखित में से कोई अपराध कारित करता है या कारित करवाता है और उसे उद्भूत फायदों को प्रतिधारित करता है, अर्थात्:-
 - क) से च) XX XX XX XX XX

- छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है या निवारित करता है;
 - ज) से झ) xx xx xx xx xx xx
- ज) किसी सारभूत साक्ष्य या दस्तावेज से छेड़छाड़ करता है या नष्ट करता है;
- ट) कोई स्चना, जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम में या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदाय किया जाना अपेक्षित है जब तक युक्तियुक्त विश्वास न हो जाये कि उसके द्वारा प्रदाय की गयी स्चना, जिसकी सत्यता सिद्ध करने का भार उस पर है, सत्य है) प्रदाय करने में असफल रहता है या मिथ्या स्चना देता है; या
- ठ) इस धारा के खण्ड क) से खण्ड ट) में वर्णित अपराधों में से किसी को भी कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण कारित करता है,

तो वह-

- (i) 社(ii) XX XX XX XX XX
- (iii) ऐसे किसी अन्य अपराध की दशा में जहां कर अपवंचन की रकम या गलत रूप से उपभोग या उपयोग की गयी इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत रूप से प्रतिदाय की गयी रकम, एक सौ लाख रुपये से अधिक किन्तु दो सौ लाख रुपये से अनिधक है तो ऐसे कारावास से जिसकी अविध एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से;
- (iv) ऐसी दशा में जहां वह खण्ड च) या खण्ड छ) या खण्ड ञ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अविध छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से,

दंडनीय होगा।

138. अपराधों का प्रशमन.- (1) इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध या तो अभियोजन के संस्थित करने या उसके पश्चात् अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसी प्रशमन रकम को ऐसी रीति से संदाय पर, जो विहित की जाए, आयुक्त द्वारा प्रशमन होगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी-

- क) कोई व्यक्ति जिसे धारा 132 की उप-धारा 1) के खण्ड क) से खण्ड च) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संदर्भ में प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था और खण्ड 1) में विनिर्दिष्ट अपराध जिससे उक्त उप-धारा के खण्ड क) से खण्ड च) में विनिर्दिष्ट अपराध से संबंधित है;
- ख) कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन या एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के प्रदाय के संबंध में, किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन जो खण्ड क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमन के लिए अन्जात किया गया था;
- ग) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने का अभियुक्त है, जिसने तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन कोई अपराध भी किया है;
 - ਬ) xx xx xx xx xx xx
- ङ) कोई व्यक्ति जो धारा 132 की उप-धारा 1) के खण्ड छ) या खण्ड ज) या खण्ड ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध कारित करने के लिए अभियुक्त है; और
 - च) xx xx xx xx xx xx xx
- इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम,
 न्यूनतम रकम दस हजार रुपये या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत,

इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने और अधिकतम रकम तीस हजार रुपये या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से कम नहीं होने के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी होगी, जो विहित की जाये।

अनुस्ची 3 [धारा 7 देखें]

ऐसे क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय और न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा

- 1. 社 6 XX XX XX XX XX XX
- भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर, भारत में माल के प्रवेश किये बिना, ऐसे माल का प्रदाय।
- (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमित प्रदान किये जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागारित माल का प्रदाय।
 - (ख) परेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, भारत से बाहर स्थित आरम्भ पत्तन से माल के प्रेषण किये जाने के पश्चात् किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिये जाने से पूर्व माल पर हक के दस्तावेजों के पृष्ठांकन द्वारा, माल का प्रदाय।

स्पष्टीकरण 1.- पैरा 2 के प्रयोजनों के लिए, पद "न्यायालय" में जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सम्मिलित है।

स्पष्टीकरण 2.- पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "भांडागारित माल" का वही अर्थ होगा, जो उसको सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 1962 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) में समनुदेशित किया गया है। (Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

- 1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.
- (2) Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

- 2. Amendment of section 10, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 10 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), hereinafter referred to as the principal Act,-
 - (a) in clause (d) of sub-section (2), the existing expression "goods or" shall be deleted; and
 - (b) in clause (c) of sub-section (2A), the existing expression "goods or" shall be deleted.
- 3. Amendment of section 16, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 16 of the principal Act,-
- (i) in the second proviso, for the existing expression "added to his output tax liability, along with interest thereon", the expression "paid by him along with interest payable under section 50" shall be substituted; and

- (ii) in the third proviso, after the existing expression "made by him" and before the existing expression "of the amount", the expression "to the supplier" shall be inserted.
- 4. Amendment of section 17, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 17 of the principal Act,-
- (a) in the Explanation of sub-section (3), for the existing expression "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be substituted, namely:-

"except,-

- (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and
- (ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule."; and
- (b) after the existing clause (f) and before the existing clause (g) of sub-section (5), the following new clause shall be inserted, namely:-
 - "(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013);".
- 5. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing sub-section (2) of section 23 of the principal Act, the following shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-
 - "(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.".
- 6. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 30 of the principal Act,-
- (a) for the existing expression "the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:", the expression "such manner, within such time and subject

to such conditions and restrictions, as may be prescribed." shall be substituted; and

- (b) the existing proviso shall be deleted.
- 7. Amendment of section 37, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 37 of the principal Act, after the existing subsection (4), the following new sub-section shall be added, namely:-
 - "(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details."

- **8.** Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 39 of the principal Act, after the existing subsection (10), the following new sub-section shall be added, namely:—
 - "(11) A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return."

- 9. Amendment of section 44, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing section 44 of the principal Act shall be numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) so numbered, the following new sub-section shall be added, namely:-
 - "(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial

year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.".

- 10. Amendment of section 52, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 52 of the principal Act, after the existing subsection (14) and before the existing Explanation, the following new sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."

- 11. Amendment of section 54, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (6) of section 54 of the principal Act, the existing expression "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be deleted.
- 12. Amendment of section 56, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 56 of the principal Act, for the existing expression "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said subsection till the date of refund of such tax", the expression "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed" shall be substituted.
- 13. Amendment of section 62, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (2) of section 62 of the principal Act,-

- (a) for the existing expression "thirty days", the expression "sixty days" shall be substituted; and
- (b) for the existing punctuation mark "." appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (2) so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue."

- 14. Substitution of section 109, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- For the existing section 109 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-
 - "109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.- Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act."
- 15. Deletion of section 110, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing section 110 of the principal Act shall be deleted.
- 16. Deletion of section 114, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- The existing section 114 of the principal Act shall be deleted.
- 17. Amendment of section 117, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 117 of the principal Act,-
 - (a) in sub-section (1), for the existing expression "State Bench or Area Benches", the expression "State Benches" shall be substituted; and

- (b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the existing expression "State Bench or Area Benches", the expression "State Benches" shall be substituted.
- 18. Amendment of section 118, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In clause (a) of sub-section (1) of section 118 of the principal Act, for the existing expression "National Bench or Regional Benches", the expression "Principal Bench" shall be substituted.
- 19. Amendment of section 119, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 119 of the principal Act,-
 - (a) for the existing expression "National or Regional Benches", the expression "Principal Bench" shall be substituted; and
 - (b) for the existing expression "State Bench or Area Benches", the expression "State Benches" shall be substituted.
- 20. Amendment of section 122, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing sub-section (1A) and before the existing sub-section (2) of section 122 of the principal Act, the following new sub-section shall be inserted, namely:-
 - "(1B) Any electronic commerce operator who-
 - (i) allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;
 - (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
 - (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher.".

- 21. Amendment of section 132, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In sub-section (1) of section 132 of the principal Act,-
 - (a) the existing clauses (g), (j) and (k) shall be deleted;
 - (b) in clause (l), for the existing expression "clauses (a) to (k)", the expression "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;
 - (c) in clause (iii), for the existing expression "any other offence", the expression "an offence specified in clause (b)," shall be substituted; and
 - (d) in clause (iv), the existing expression "or clause (g) or clause (j)" shall be deleted.

22. Amendment of section 138, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- In section 138 of the principal Act,-

- (a) in the first proviso to sub-section (1),-
 - (i) for the existing clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;";
 - (ii) the existing clause (b) shall be deleted;
 - (iii) for the existing clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of subsection (1) of section 132;"; and
 - (iv) the existing clause (e) shall be deleted; and
- (b) in sub-section (2), for the existing expression "ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher", the expression "twenty five per cent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved" shall be substituted.
- **23.** Insertion of new section 158A, Rajasthan Act No. 9 of 2017.- After the existing section 158 and before the existing section 159 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

- "158A. Consent based sharing of information furnished by taxable person.- (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:-
 - (a) the particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44;
 - (b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68; and
 - (c) such other details as may be prescribed.
- (2) For the purposes of sharing details under subsection (1), the consent shall be obtained, of-
 - (a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and
 - (b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,

in such form and manner as may be prescribed.

(3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return."

- 24. Retrospective exemption to certain activities and transaction in Schedule III to the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017).- (1) The existing paragraphs 7 and 8 and the existing Explanation 2 in Schedule III to the principal Act, shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.
- (2) No refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had subsection (1) been in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State Government.

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023, *inter alia*, provides for the following, namely:-

Clause 2 of the Bill seeks to amend clause (d) of subsection (2) and clause (c) of sub-section (2A) in section 10 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to remove the restriction imposed on registered persons engaged in supplying goods through electronic commerce operators from opting to pay tax under the composition levy.

Clause 3 of the Bill seeks to amend second and third provisos to sub-section (2) of section 16 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to align the said sub-section with the return filing system provided in the said Act.

Clause 4 of the Bill seeks to amend Explanation to subsection (3) of section 17 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to restrict availment of input tax credit in respect of certain transactions specified in clause (a) of paragraph 8 of Schedule III of the said Act, as may be provided by rules, by including the value of such transactions in the value of exempt supply.

It also seeks to amend sub-section (5) so as to provide that input tax credit shall not be available in respect of goods or services or both received by a taxable person which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013 (Central Act No. 18 of 2013).

Clause 5 of the Bill seeks to substitute, with effect from the 1st day of July, 2017, section 23 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 relating to persons not liable for registration so as to provide overriding effect to the said section over sub-section (1) of section 22 and section 24 of the said Act.

Clause 6 of the Bill seeks to amend section 30 of Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 as to provide the time limit and

manner for revocation of cancellation of the registration with prescribed conditions and restrictions.

Clause 7 of the Bill seeks to add a new sub-section (5) in section 37 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide a time limit of three years upto which the details of outward supplies under sub-section (1) of the said section for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

Clause 8 of the Bill seeks to add a new sub-section (11) in section 39 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide a time limit of three years upto which the return for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

Clause 9 of the Bill seeks to add a new sub-section (2) in section 44 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide a time limit of three years upto which the annual return under sub-section (1) of the said section for a financial year can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

Clause 10 of the Bill seeks to insert a new sub-section (15) in section 52 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide a time limit of three years upto which the statement under sub-section (4) of the said section for a month can be furnished by an electronic commerce operator. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for an operator or a class of operators, subject to certain conditions and restrictions.

Clause 11 of the Bill seeks to amend sub-section (6) of section 54 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 by deleting reference to the provisionally accepted input tax credit so

as to align the same with the present scheme of availment of self-assessed input tax credit as per sub-section (1) of section 41 of the said Act.

Clause 12 of the Bill seeks to amend section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide by rules the manner of computation of period of delay for calculation of interest on delayed refunds.

Clause 13 of the Bill seeks to amend sub-section (2) of section 62 to extend the time period from thirty days to sixty days for withdrawal of the assessment order under sub-section (1) of section 62. It further seeks to insert a new proviso in order to provide for withdrawal of the assessment order under sub-section (1) of section 62 beyond the period of sixty days on payment of an additional late fee of hundred rupees each day of delay beyond sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1) of section 62 along with interest under section 50 or to pay late fee under section 47.

Clause 14 of the Bill seeks to substitute the existing section 109 of Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017, in line with the amendment made in the Central Goods and Services Tax Act, 2017. The Appellate Tribunal shall be established by provisions of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the same shall be adopted under the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Clause 15 of the Bill seeks to delete section 110 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. The existing section in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 provides for President and Members of Appellate Tribunal, their qualifications, appointment, conditions of service etc. Qualifications, appointment, conditions of service etc. for President and Members of Appellate Tribunal shall be established by provisions of section 110 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the same shall be adopted under the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Clause 16 of the Bill seeks to delete section 114 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017. The existing section 114 in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 provides for financial and administrative powers of the State President. The financial and administrative powers of President shall be established by provisions of section 114 of the Central Goods and

Services Tax Act, 2017 and the same shall be adopted under the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Clause 17 of the Bill seeks to substitute the existing expression "State Benches or Area Benches" with the expression "State Benches" in section 117 of Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Clause 18 of the Bill seeks to substitute the existing expression "National Bench or Regional Benches" with the expression "Principal Bench" in section 118 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Clause 19 of the Bill seeks to substitute the existing expression "National Bench or Regional Benches" with the expression "Principal Bench" and the existing expression "State Benches or Area Benches" with the expression "State Benches" in section 119 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.

Clause 20 of the Bill seeks to insert a new sub-section (1B) in section 122 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for penal provisions applicable to electronic commerce operators in case of contravention of provisions relating to supplies of goods or services made through them by unregistered persons or composition tax payers.

Clause 21of the Bill seeks to amend the existing subsection (1) of section 132 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to decriminalise offences specified in clauses (g), (j) and (k) of the said sub-section and to increase the monetary threshold from one hundred lakh rupees to two hundred lakh rupees for launching prosecution for the offences under the said Act, except for the offences related to issuance of invoices without supply of goods or services or both.

Clause 22 of the Bill seeks to amend the existing first proviso to sub-section (1) of section 138 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to exclude the persons involved in offences relating to issuance of invoices without supply of goods or services or both from the option of compounding of the offences under the said Act. It further seeks to amend the existing subsection (2) so as to rationalise the amount for compounding of various offences by reducing the minimum as well as maximum amount for compounding.

Clause 23 of the Bill seeks to insert a new section 158A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide for the manner and conditions for sharing of the information furnished by the registered person in his application for registration or in his return filed or in his statement of outward supplies, or the details uploaded by him for generation of electronic invoice or E-way bill or any other details, as may be provided by rules, on the common portal with such other systems, as may be notified.

Clause 24 of the Bill seeks to amend the existing Schedule III of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 to give retrospective applicability to paragraphs 7 and 8 and Explanation 2 to the said Schedule with effect from the 1st day of July, 2017.

The Bill seeks to achieve the above objectives. Hence the Bill.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के अधी न महामहिम राज्यपाल महोदय की सिफारिश।

प्रतिलिपि: संख्या प. 2 34) विधि/ 2/ 2023 जयपुर, दिनांक 17 जुलाई, 2023 प्रेषक: अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रेषिति: प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड 1) और 3) के प्रसंग में, मैं, राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2023 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किये जाने और विचारार्थ लिये जाने की सिफारिश करता हूं।

ı

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed Rajasthan Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of Rajasthan.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 4 of the Bill seeks to amend the Explanation in subsection (3) of section 17 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 which clarifies that the expression "value of exempt supply" shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III except certain activities or transactions specified therein. Clause (ii) of the said Explanation empowers the Government to specify by rules the value of such activities or transactions in respect of clause (a) of paragraph 8 of Schedule III which are so excepted.

Clause 6 of the Bill seeks to amend section 30 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 as to provide the time limit and manner for revocation of cancellation of the registration with prescribed conditions and restrictions. Subsection (1) of the said section empowers the Government to provide by rules the manner, time, conditions and restrictions in respect to revocation of cancellation of the registration.

Clause 7 of the Bill seeks to add a new sub-section (5) in section 37 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide a time limit of three years for furnishing the details of outward supplies under sub-section (1) of the said section for a tax period by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, by notification to extend the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

Clause 8 of the Bill seeks to add a new sub-section (11) in section 39 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide a time limit of three years upto which the return for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the

Council, by notification to extend the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

Clause 9 of the Bill seeks to add a new sub-section (2) in section 44 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide a time limit of three years upto which the annual return under sub-section (1) of the said section for a financial year can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions.

Clause 10 of the Bill seeks to insert a new sub-section (15) in section 52 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 so as to provide a time limit of three years upto which the statement under sub-section (4) of the said section for a month can be furnished by an electronic commerce operator. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for an operator or a class of operators, subject to certain conditions and restrictions.

Clause 12 of the Bill seeks to amend section 56 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 by substituting certain words therein which empowers the Government to provide by rules the manner of computing the interest in respect of refund payable for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of application till the date of refund, subject to the conditions and restrictions.

Clause 23 of the Bill seeks to insert a new section 158A in the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 relating to consent based sharing of information furnished by taxable person. Sub-section (1) of the said section empowers the Government to provide by rules the details to be shared and the manner in which and the conditions subject to which the details may be shared by the common portal with such other systems notified by the Government. Sub-section (2) of the said section empowers the Government to provide by rules the form and manner in which the consent of the supplier and the recipient specified therein shall be obtained.

The matters in respect of which rules or regulations may be made or notifications or orders may be issued in accordance with the provisions of the Bill are matters of procedure and administrative details and it is not practicable to provide for them in the Bill itself.

The delegation of legislative power is, therefore, of a normal character.

अशोक गहलोत, Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017 (Act No. 9 of 2017)

XX	XX	XX	X	X	XX	XX	
	10. Compositi	ion levy ((1) x	X	XX	XX	
XX							
	(2) The registe	ered persor	shall be	eligibl	e to opt u	nder sub-	
section	n (1), if-						
	(a) to (c)	XX	XX	XX	XX	XX	
	, ,	ot engaged				-	
services through an electronic commerce operator who is							
	required to col		source ur	nder sec	ction 52;		
	(e) to (f)		XX	XX	XX	XX	
	(2A) Notwiths	_			-		
this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of							
	n 9, a registered	_	_	_			
sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in							
_	eceding financia	-		-	_	_	
	pay, in lieu of						
	tion 9, an amou						
-	ibed, but not e	xceeding 1	three per	cent.	of the tu	rnover in	
State,	if he is not—						
			ΚX	XX	XX	XX	
	(c) engaged in						
		an electro			-		
required to collect tax at source under section 52;							
	(d) to (e)	XX	XX	XX	XX	XX	
	() ()		X	XX	XX	XX	
XX	XX	XX		X	XX	XX	
	16. Eligibility	y and co	nditions	for 1	taking ir	iput tax	
credit	$\mathbf{x} - (1) \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x}$						
	(2) Notwithsta		_				
registe	ered person shal	II be entitle	ed to the	credit	of any int	out tax in	

tax paying documents as may be prescribed;

(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause (a) has been furnished by the supplier in the

issued by a supplier registered under this Act, or such other

(a) he is in possession of a tax invoice or debit note

respect of any supply of goods or services or both to him unless,-

statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37;

- (b) he has received the goods or services or both. **Explanation.-** For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services—
 - (i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;
 - (ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person.;
- (c) subject to the provisions of section 41, the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the Government, either in cash or through utilisation of input tax credit admissible in respect of the said supply; and
 - (d) he has furnished the return under section 39:

Provided that where the goods against an invoice are received in lots or instalments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or instalment:

Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability, along with interest thereon, in such manner as may be prescribed:

Provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon.

(3) to (4) xx xx xx xx xx xx

17. Apportionment of credit and blocked credits.- (1) to (2) xx xx

(3) The value of exempt supply under sub-section (2) shall be such as may be prescribed, and shall include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, transactions in securities, sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.

Explanation.— For the purposes of this sub-section, the expression "value of exempt supply" shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except those specified in paragraph 5 of the said Schedule.

23. Persons not liable for registration.- (1) xx xx

(2) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.

XX XX XX XX XX XX

30. Revocation of cancellation of registration.- (1) Subject to such conditions as may be prescribed, any registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order:

Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,—

- (a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days;
- (b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days, beyond the period specified in clause (a).

44. Annual return.- Every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year

electronically, within such time and in such form and in such manner as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the proper officer may, in the case of any claim for refund on account of zero-rated supply of goods or services or both made by registered persons, other than such category of registered persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, refund on a provisional basis, ninety per cent. of the total amount so claimed, excluding the amount of input tax credit provisionally accepted, in such manner and subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed and thereafter make an order under sub-section (5) for final settlement of the refund claim after due verification of documents furnished by the applicant.


56. Interest on delayed refunds.- If any tax ordered to be refunded under sub-section (5) of section 54 to any applicant is not refunded within sixty days from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, interest at such rate not exceeding six percent. as may be specified in the notification issued by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax:

Provided that where any claim of refund arises from an order passed by an adjudicating authority or Appellate Authority or Appellate Tribunal or court which has attained finality and the

same is not refunded within sixty days from the date of receipt of application filed consequent to such order, interest at such rate not exceeding nine per cent. as may be notified by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application till the date of refund.

- XX XX
- (2) Where the registered person furnishes a valid return within thirty days of the service of the assessment order under subsection (1), the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn but the liability for payment of interest under subsection (1) of section 50 or for payment of late fee under section 47 shall continue.
- XX XX XX XX XX XX
- 109. Appellate Tribunal and Benches thereof.- (1) Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.
- (2) The constitution and jurisdiction of the State Bench and the Area Benches located in the State shall be in accordance with the provisions of section 109 of the Central Goods and Services Tax Act or the rules made thereunder.
- 110. President and Members of Appellate Tribunal, their qualification, appointment, conditions of service, etc.- The qualifications, appointment, salary and allowances, terms of office, resignation and removal of the President and Members of the State Bench and Area Benches shall be in accordance with the provisions of section 110 of the Central Goods and Services Tax Act.
- XX XX XX XX XX XX
- 114. Financial and administrative powers of State President.- The State President shall exercise such financial and administrative powers over the State Bench and Area Benches of the Appellate Tribunal in a State, as may be prescribed:

Provided that the State President shall have the authority to delegate such of his financial and administrative powers as he may



(g) obstructs or prevents any officer in the discharge

of his duties under this Act;

XX

- (h) and (i) xx xx xx xx xx
- (j) tampers with or destroys any material evidence or documents;
- (k) fails to supply any information which he is required to supply under this Act or the rules made thereunder or (unless with a reasonable belief, the burden of proving which shall be upon him, that the information supplied by him is true) supplies false information; or
- (1) attempts to commit, or abets the commission of any of the offences mentioned in clauses (a) to (k) of this section,

shall be punishable-

- (i) to (ii) xx xx xx xx xx xx
- (iii) in the case of any other offence where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds one hundred lakh rupees but does not exceed two hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine;
- (iv) in cases where he commits or abets the commission of an offence specified in clause (f) or clause (g) or clause (j), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

138. Compounding of offences.- (1) Any offence under this Act may, either before or after the institution of prosecution, be compounded by the Commissioner on payment, by the person accused of the offence, to the Central Government or the State Government, as the case may be, of such compounding amount in such manner as may be prescribed:

Provided that nothing contained in this section shall apply to -

(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of section 132 and the offences specified in clause (l) which are relatable to offences specified in clauses (a) to (f) of the said sub-section;

- (b) a person who has been allowed to compound once in respect of any offence, other than those in clause (a), under this Act or under the provisions of any State Goods and Services Tax Act or the Central Goods and Services Tax Act or the Union Territory Goods and Services Tax Act or the Integrated Goods and Services Tax Act in respect of supplies of value exceeding one crore rupees;
- (c) a person who has been accused of committing an offence under this Act which is also an offence under any other law for the time being in force;
 - (d) xx xx xx xx xx
- (e) a person who has been accused of committing an offence specified in clause (g) or clause (j) or clause (k) of sub-section (1) of section 132; and
 - (f) xx xx xx xx xx
- (2) The amount for compounding of offences under this section shall be such as may be prescribed, subject to the minimum amount not being less than ten thousand rupees or fifty per cent. of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty per cent. of the tax, whichever is higher.

SCHEDULE III

[See section 7]

ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED NEITHER AS A SUPPLY OF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES

- 1. to 6. xx xx xx xx xx
- 7. Supply of goods from a place outside India to another place outside India without such goods entering into India.
- 8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;
 - (b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption.

Explanation 1.- For the purposes of paragraph 2, the term "court" includes District Court, High Court and Supreme Court.

Explanation 2.— For the purposes of paragraph 8, the expression "warehoused goods" shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962 (Central Act No. 52 of 1962).

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 25 of 2023

THE RAJASTHAN GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill
further to amend the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017.
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
MAHAVEER PRASAD SHARMA, Principal Secretary.
-

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)

2023 का विधेयक सं. 25

राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा, प्रमुख सचिव।

(अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री)